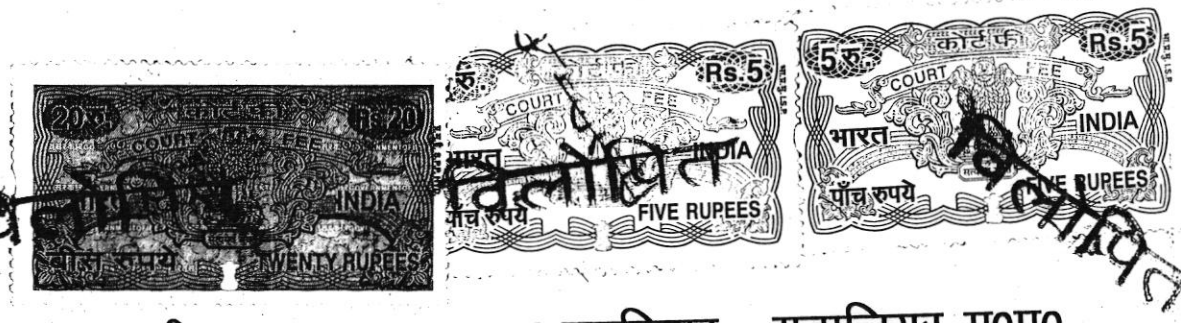

(90)

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, गवालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्र. R 1515-I-17

प्यारेलाल अहिरवार
तनय सूखा अहिरवार
निवासीयान ग्राम इमलाना
तहसील बल्देवगढ़ टीकमगढ़
..........आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 27-5-17 को प्रस्तुत
27/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. भानूप्रसाद ब्राहम्ण तनय रामचरण निवासी इमलाना तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
2. म0प्र0 शासन

.............अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ प्रकरण क्रं0 26/बी–121/2010–11 में पारित आदेश 14.03.2017 से व्यथित होकर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं

महोदय,

27/5/17

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

निगराकार क्रमांक 1 को भूमि स्थित ग्राम इमलाना खसरा क्रं0 774/2/2 रकवा 911 आरे एवं खसरा 798 रकवा 1.214 आरे का व्यवस्थापन प्रकरण क्र0 17–अ/19/04/94–95 अंतर्गत निगराकारगणों को भू स्वामित्व प्रदान किया गया था जिस पर काबिज होकर लगातार कृषि कार्य कर सपरिवार कृषि कर रहे है। उक्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अपना कब्जा दर्ज करवाया गया एवं बिना किसी आधार एवं आदेश के खसरा कॉलम 12 में राजस्व कर्मचारियों के षडयंत्र के चलते राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड कराई हैं जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा

नि० 1515-I/17 जिला टीकमगढ़

29/12/17

प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 14–3–17 के विरूद्ध विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर द्वारा मु. जमनीबाई पत्नि प्यारेलाल द्वारा पट्टा दिलाए जाने संबंधी आवेदन को प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए अपुष्ट साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया है तथा प्रकरण तहसीलदार को आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । चूंकि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निराकरण समयसीमा में करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है अतः तहसीलदार, टीकमगढ़ को यह निर्देश दिए जाते हैं कि कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण इस आदेश की प्राप्ति के 2 माह के अंदर करें । यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

प्रशा0 सदस्य